बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008

संशोधन 14क. अधिनियम 6, 1935 की धारा-14 के बाद एक नई धारा-14क का जोड़ा जाना।-बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935, धारा-14 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-14क जोड़ी जाएगी :-

''14 क 1 - कुछ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के प्रबंध समिति का निर्वाचन।-

(1) सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा निर्धारित कर सकती है एक सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों के प्रबंध समिति का निर्वाचन का संचालन एक प्राधिकार इस प्राधिकार को किसी नाम से जाना जाएगा, इस अधिनियम, नियमावली और अन्य कोई इकाई, संगठन, कमिटी आदि निबंधित सोसाइटी के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन हेतु बनाया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से यह प्राधिकार निर्वाचन संचालित करेगा।

(2) इस अधिनियम तत्संबंधित बनाए गए नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उप-विधियों के प्रावधान के होते हुए भी, सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों के प्रबंध समिति का निर्वाचन इस धारा के प्रावधान के तहत् अधिसूचित इस धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, उक्त अधिसूचना की तिथि के बाद यदि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हो, लेकिन उक्त निर्वाचन का घोषणा की तिथि के पूर्व संपन्न होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा-14 की उपधारा (9), तत्संबंधित अधीन नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उपविधियों के प्रावधान के होते हुए भी सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्गों या वर्गों के प्रबंध समिति का निर्वाचन इस धिारा की अधिसूचित उप-धारा (1) के तहत् अधिसूचना की तिथि से छह माह के अन्दर होगा, जिसका विस्तार अगले छह माह तक किया जा सकता है।

(4) इस अधिनियम की धारा-14 की उपधारा (9), तत्संबंधित अधीन नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उपविधियों के प्रावधान के होते हुए भी, यदि उस निबंधित सोसाइटी के प्रबंध समिति का कार्यकाल इस धारा के अधिसूचित उप-धारा(1) के अधीन अधिसूचना के उपरान्त समाप्त हो जाता है, तो भी, उस प्रबंध समिति का उस समय तक अवधि विस्तार हो जाएगा, जब तक कि उप-धारा के प्रावधान के अनुरूप निर्वाचन से प्रबंध समिति गठित नहीं हो जाती है।

(5) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का प्रबंध समिति इस धारा की उप धारा (4) के अधीन प्रबंध समिति के गठन के पश्चात् अवक्रमित होता है अथवा धारा-14 की उप-धारा (9) के तहत् पदावधि समाप्ति के पहले उक्त समिति के प्रबंध समिति चाहे जो कारणवश पदमुक्त हो जाते हैं, तो इस धारा की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के तहत् विहित उसी प्राधिकार के द्वारा प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन करााया जाएगा। उक्त प्रबंध समिति की पदावधि पूर्ववर्त्ती प्रबंध समिति द्वारा बिताई गई पदावधि में अवक्रमण की अवधि आदि यदि हो, शामिल होगी जो कि धारा-14 की उप-धारा (9) के प्रावधानों के अधीन विहित अवधि से अधिक नहीं होगी।

(6) उप-धारा (1) के तहत् अधिसूचित वर्गों अथवा किसी वर्ग की कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के निर्वाचन के परिणाम के 90 दिनों के अन्दर दाखिल एक निर्वाचन याचिका को छोड़ कर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा एवं उसे इस अधिनियम की धारा-48 के अधीन विवाद के रूप में विनिश्चय किया जाएगा। ऐसे निर्वाचन याचिका को रजिस्ट्रार अथवा इस अधिनियम की धारा-6 के अधीन रजिस्ट्रार के सहायतार्थ नियुक्त ऐसे अन्य पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकेगा।

6. अधिनियम 6, 1935 की धारा-44 के थ में संशोधन। -

(1) उक्त अधिनियम की धारा-44 क थ की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी -

''(2) (क) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, इस अध्याय के अध्यधीन सोसाइटियों के प्रचालन में एकरूपता लाने हेतु उनके मजबूती एवं उपयोगिता को बढ़ाने एवं कृषि विकास के उद्देश्य के लिए उन्हें सक्षम (भायबुल) बनाने हेतु प्राथमिक सहकारी साख सोसाइटी का क्षेत्र पंचायत के सह-अंतक होगा एवं प्रत्येक पंचायत में केवल एक जैसा सोसाइटी होगा।

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी यदि एक प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का क्षेत्र इस उप-धारा की उप-कंडिका (क) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार की ओर से काम करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो कि सहायक निबंधक की पंक्ति के नीचे का न हो। यह आदेश द्वारा एक या एक से अधिक सोसाइटियों जैसा कि मामला हो के विखंडन अथवा संविलियन जिसमें कि पुनर्गठन शामिल हों के लिए आदेश कर सकेगा एवं वैसे पुनर्गठन के पश्चात् नई सोसाइटी / सोसाईटियों का निबंधन कर सकेगा।